

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर
पत्रांक:-5066. /मी0क्षे0/33, मीरजापुर, दिनांक जून, 17- 2025

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषय:-

जनपद-सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के म्योरपुर रेंज अन्तर्गत रणटोला(कटौधी) से किरविल तक प्रस्तावित 132 के0वी0 विद्युत ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण में प्रभावित 16.8912 हे0 वन भूमि के मंद वानिकी प्रयोग एवं 819 वृक्षो/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में। (ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/TRANS/151920/2022)

संदर्भ:-

- 1-भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्र संख्या-8बी/यू0पी0/04/109/2023/एफ0सी0/48, दिनांक-30.05.2024
- 2-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक-3463/11-सी- FP/UP/TRANS/151920/2022, दिनांक-27.05.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या में पायी गयी कमियों का निराकरण करते हुए एवं संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई थी।

उक्त के अनुपालन में कमियों का निराकरण करते हुए बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट वन प्रभाग ने अपने कार्यालय पत्रांक-4417/रेनुकूट/15-276, दिनांक-28.05.2025 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई अनुपालन आख्या एतदसह संलग्नकर सूचनार्थ एवं आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(मनीष मिश्रा)

मुख्य वन संरक्षक,

मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

संख्या-5066 अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि-प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट-सोनभद्र को उनके पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(मनीष मिश्रा)

मुख्य वन संरक्षक,

मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट सोनभद्र - (उ०प्र०)



05446-252020

PIN Code: 231217

Email: dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक-
सेवा में,

५५१७

/ रेनुकूट / 15-276

दिनांक, रेनुकूट, मई, 28,

,2025

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर ।

विषय:-

जनपद- सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के म्योरपुर रेंज अन्तर्गत रणटोला (कटोधी) से किरविल तक प्रस्तावित 132 के० वी० विद्युत ट्रान्समिशन लाईन के निर्माण में प्रभावित 16.8912 हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 819 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में । (ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/TRANS/151920/2022)

संदर्भ:-

- 1-भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्र संख्या- 8बी/यू०पी०/०४/१०९/२०२३/एफ०सी०/४८ दिनांक- 30.05.2024
- 2-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक- 3559/11-सी- FP/UP/TRANS/151920/2022 दिनांक-03.06.2024
- 3-इस कार्यालय का पत्रांक- 3923/रेनुकूट/15-276 दिनांक- 25.04.2025
- 4-मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर का पत्रांक- 4580/मी०क्षे०/33 दिनांक-13.05.2025
- 5-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक- 3463/11-सी- FP/UP/TRANS/151920/2022 दिनांक-27.05.2025

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें । प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक- 30.05.2024 द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन 16.8912 हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 819 वृक्षों/पौधों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश में अधिरोपित समस्त शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रयोक्ता अभिकरण के अधिशासी अभियन्ता विद्युत प्रेषण खण्ड , उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० 220 के०वी० उपकेन्द्र रावर्टसगंज-सोनभद्र ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या-527/वि०पा०खण्ड(रा०) दिनांक- 23.04.2025 द्वारा प्रभाग में उपलब्ध कराये जाने पर प्रभाग की अनुपालन आख्या प्रभाग के संदर्भित पत्र दिनांक- 25.04.2025 द्वारा मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर की सेवा में प्रेषित किया गया । मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर ने भी अपने कार्यालय के संदर्भित पत्र दिनांक- 13.05.2025 द्वारा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ०प्र० लखनऊ की सेवा में प्रेषित किया गया । उक्त अनुपालन आख्या का परीक्षणोपरान्त

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक- 27.05.2025 द्वारा कुछ बिन्दुओं पर आपत्तियाँ इंगित करते हुए उसके निराकरण कर पूर्ण बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने हेतु निर्देशित किया गया है ।

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक- 27.05.2025 द्वारा इंगित कमियो का निराकरण कराने के उपरान्त प्रभाग की संशोधित बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्न विवरण के अनुसार संस्तुति सहित भारत सरकार के स्तर से विधिवत स्वीकृति जारी किये जाने के संबंध में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

क्र० सं०	भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्र संख्या- 8बी/यू०पी०/०४/१०९/२०२३/ एफ०सी०/४८ दिनांक- 30.05.2024 में अंकित शर्तों का विवरण	संशोधित अनुपालन आख्या
1	2	3
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है ।
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 34.00 ha. Degraded Forest land in Cheri Forest Block. Renukoot Forest Division, Myourpur Range, District Sonbhadra at the cost of the user agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided. .	इस बिन्दु के क्रम में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रभाग के म्योरपुर रेंज अन्तर्गत चेरी वन ब्लॉक में चयनित 34.00 हे० अवनत वन भूमि पर वनीकरण हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वांछित धनराशि कैम्पा फण्ड में जमा किया गया है उसे विभाग द्वारा कैम्पा से नियमानुसार प्राप्त करने के उपरान्त स्थानीय मिश्रित प्रजाति के पौधों का वृक्षारोपण किया जायेगा ।
3	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey. Demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the projet authority. The CA will be maintained for 10 years . The scheme will be for plantation and may include appropriate provision for anticipated cost increase for work scheduled for subsequent years.	इस बिन्दु के क्रम में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रभाग के म्योरपुर रेंज अन्तर्गत चेरी वन ब्लॉक में चयनित 34.00 हे० अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण कार्य करने हेतु तैयार किये गये व्यय अनुमान पत्र के अनुसार <u>रु० 83,49,800.00 (मु० तिरासी लाख उन्चास हजार आठ सौ मात्र)</u> परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से <u>Uttar Pradesh Campa</u> , में दिनांक- 28.11.2024 को जमा कराते हुए चालान की प्रति उपलब्ध करायी गयी है जिसकी प्रति संलग्न है ।

4	The State Government shall charge the Net Present Value(NPV) for the 16.8912 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in I.A. No. 566 in WP(C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-Fc (pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and 5&3/2011-FC(Vol-I) dated orders dated 06.01.2022	इस बिन्दु के क्रम में प्रश्नगत वन भूमि के लिए निर्धारित एनपीवी की धनराशि रु० 1357110 प्रति हे० की दर से परियोजना में प्रभावित 16.8912 हे० आरक्षित वन भूमि का वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की निर्धारित धनराशि 16.8912 हे० X 1357110 प्रति हे० = रु० 22923216.43 या 2,29,23,217 (मु० दो करोड़ उन्तीस लाख तेईस हजार दो सौ सत्रह मात्र) परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa में दिनांक- 28.11.2024 को जमा कराते हुए चालान की प्रति उपलब्ध करायी गयी है जिसकी प्रति संलग्न है ।
5	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to the effect.	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है ।
6	The FRA certificate as per Ministry's guidelines shall be submitted before issuance of Final Approval . The complete compliance of the FRA 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concened District Collector.	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के स्तर से जारी निर्धारित प्रारूप मे वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत जिलाधिकारी सोनभद्र के स्तर से जारी प्रमाण पत्र की प्रति उपलब्ध करायी गयी है जिसकी प्रति संलग्न है ।
7	Solar pumps shall be installed at the CA sites for irrigation purposes to ensure better survival of plant.	इस बिन्दु के अनुपालन मे प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सोलर पम्प की स्थापना हेतु व्यय अनुमान पत्र के अनुसार रु० 29,53,620/- (मु० उन्तीस लाख तिरपन हजार छः सौ बीस मात्र) परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa में दिनांक- 28.11.2024 को जमा कराते हुए चालान की प्रति उपलब्ध करायी गयी जिसकी प्रति संलग्न है ।
8	The entire area preposed for CA shall be fenced by the State	इस बिन्दु के अनुपालन मे तैयार किये गये व्यय अनुमान पत्र के

	Forest Department at the cost of User agency .	अनुसार रू0 20,79,633/- (मु0 बीस लाख उन्यासी हजार छः सौ तैतिस मात्र) परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa में दिनांक- 28.11.2024 को जमा कराते हुए चालान की प्रति उपलब्ध करायी गयी जिसकी प्रति संलग्न है ।
9	Widtho Right of Way for the Ttransmission Line shall be limited to 27 meter .	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है ।
10	The User Agency should fence the base of the tower by Chain Link Fencing to prevent the electrocution of Elephant/Wild Animals in forest area at their own cost. The concerned DFO	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है ।
11	The normal width clearance below each conductor or conductor bundle in case of 132 KV D/C line will be 3 meter only. The trees on such strips may be felled but after stringing work is completed , the natural regeneration will be allowed to come up.	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है ।
12	The User agency is consultation with the State Forest Department prepare a detailed scheme for creation and maintenance of plantation of dwarf species in right of way under the transmission line and deposit the cost for execution of the said scheme to the State Forest Department .	इस बिन्दु के क्रम में प्रभावित वन भूमि 16.8912 हे0 पर ड्रान्समिशन लाईन का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त उसके नीचे बौने प्रजाति का वनीकरण कार्य करने हेतु तैयार किये गये व्यय अनुमान पत्र के अनुसार रू0 46,56,300.00 (मु0 छियालिस लाख छप्पन हजार तीन सौ मात्र) परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa में दिनांक- 28.11.2024 को जमा कराते हुए चालान की प्रति उपलब्ध करायी गयी जिसकी प्रति संलग्न है ।
13	The user agency at its cost shall provide bird deflectors, which are to be fixed on upper conductor of transmission line at suitable intervals to avoid bird hits.	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है ।
14	The User Agency shall comply with the guidelines for laying transmission lines through forest areas issued by Ministry vide Letter 7-25/2012-FC Dated 05.05.2014 & 19.11.2014	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है ।
15	User Agency shall restrict the felling of trees to 819	इस शर्त के क्रम में परियोजना में प्रभावित 819 पौधो/वृक्षो का

	trees/minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department	गणना/छपान किये जाने हेतु मुख्य वन संरक्षक,मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के स्थायी आदेश संख्या- 1901 दिनांक-20.11.2023 द्वारा निर्धारित रीलिंग दरो के आधार पर रु0 6527 का बैंक डाफ्ट संख्या- 354463 दिनांक-14.11.2024 प्रभाग में जमा किया गया तथा 819 पौधों/वृक्षों के पातन एवं दुलान आदि पर होने वाले व्यय की निर्धारित धनरीशि, कार्यालय प्रबन्धक निदेशक, अरण्य विकास खण्ड 21/475 इन्दिरानगर लखनऊ के पत्रांक- 2005 दिनांक- 18.06.2024 के अनुसार एवं प्रभागीय लॉगिंग प्रबन्धक, उ०प्र० वन निगम रेनुकूट के पत्र संख्या- 540 दिनांक- 25.06.2024 के आधार पर रु0 10259000. 00 (गु० एक करोड दो लाख उन्सठ हजार मात्र) निम्न खाता संख्या में दिनांक- 16.11.2024 को जमा किया गया है :-			
		खाताधारक का नाम	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	आई०एफ०एस०सी कोड नम्बर
		M.D.U.P Forest Corporation	बैंक आफ बडौदा, मुंशीपुलिया, इन्दिरानगर, लखनऊ	29690200015824	BARBOINDIRA
16	NO violation of Forest (Conservation) Act , certificate from concerned DFO shall be provided.	इस बिन्दु के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्तावित वन भूमि में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन करते हुए कोई कार्य प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नहीं किया गया है । इस संबंध में वांछित प्रमाण पत्र संलग्न है ।			
17	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable .	इस बिन्दु के क्रम में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार (यदि लागू हो तो) पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है ।			
18	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government .	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है ।			
19	No labour camp shall be established on the forest land	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है ।			
20	The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है ।			
21	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost .as per the	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है ।			

	directions of the concerned Divisional Forest officer.	
22	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है ।
23	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life whichever is less.	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में दी जाने वाली पट्टे की अवधि या परियोजना जीवन जो भी कम हो, के साथ सह टर्मिनस होगी जैसा भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों में उल्लिखित किया जायेगा ।
24	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है ।
25	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies. Department or person without prior approval of Govt. of India.	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है ।
26	The KML file of area proposed for diversion and area proposed for plantation shall be uploaded on the E-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.	इस बिन्दु के क्रम में प्रस्तावित वन भूमि से संबंधित क्षेत्र, की के0एम0एल0, सी0ए0 हेतु प्रस्तावित क्षेत्र, को काम शुरू होने से पहले प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभाग को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वाच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा ।
27	The Violation of any of the conditions stipulated under this approval will be liable to the cognizance and appropriate action under MoEFCC Guideline rules and Guidelines as applicable specifically MoEFCC Guidelines dated 15.05.2023, authorizing officers of the rank of Divisional Forest Officer (DFO) Deputy Conservator of Forest (DCF) and above of the State Government or Union territory Administration concerned, having jurisdiction over the forest land in respect of which any offence under the Van(Sanrakshshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 is committed or violation of	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय की अनुपालन आख्या उपलब्ध करायी गयी है कि प्रकण में उक्त समस्त शर्तों में से किसी भी शर्तों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा ।

	the provisions of the said Act has been made. to file complaints against such person/authority/organization , prima-facie found guilty of offence under the Act or the violaion of the rules made thereunder, in the court having jurisdiction in the matter .	
28	Any other condition that ministry of Environment forest & Climate Change may stipulate form time to time in the interest of conservation. Protection and development of forest & wildlife.	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ववनवद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है ।
29	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through (https://parivesh.nic.in)	इस बिन्दु के क्रम में वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव से संबंधित जमा होने योग्य समस्त धनराशि (एनपीवी की निर्धारित धनराशि, क्षतिपूरक वनीकरण हेतु निर्धारित धनराशि व Enrichment वनीकरण हेतु निर्धारित धनराशि) परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa , में जमा करते हुए चालान की प्रति उलपथ करायी गयी है जिसकी प्रति संलग्न है ।
30	The compliance report report on e-portal(https://purivesh.nic.in)	इस बिन्दु के क्रम में परियोजना से संबंधित समस्त बिन्दुओं की बिन्दुवार अनुपालन आख्या उपरोक्तानुसार प्रेषित है । इस अनुपालन आख्या को परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराने की कार्यवाही करायी जा रही है ।
	CA amount as per proposal	(Rs.8349800+Rs.4656300)= Rs. 1,30,06,100
	CA amount deposited	Rs. 1,30,06,100
	Difference in amount	0
	Reason for difference	Not Applicable
	NPV amount as per proposal	Rs. 2,29,23,217
	NPV amount deposited	Rs. 2,29,23,217
	Difference in amount	0
	Reason for difference	Not Applicable
	Any other amount deposited (Complete details be provided)	(Rs. 2953620 Solar Pump +Rs. 2079633 CA Land Fencing = Rs. 50,33,253
	CAMPA confirmation	Enclosed Online payment history made by User Agency under CAMPA & Challan copy signed by Union Bank of india Robertsganj Branch

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त अनुपालन आख्या के आधार पर प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार/उ०प्र० सरकार के स्तर से विधिवत स्वीकृति जारी किये जाने के संबंध में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें ।
संलग्नक:-उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(डा० भानेन्द्र सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट

५५१७

संख्या- अ/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ०प्र० लखनऊ ।

2-मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, उ०प्र० लखनऊ ।

3-अधिशाली अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, 220 के०वी० उपकेन्द्र रावर्टसगंज-सोनभद्र को उनके कार्यालय के पत्र संख्या-527/वि०पा०खण्ड(रा०) दिनांक- 23.04.2025 के क्रम में ।

(डा० भानेन्द्र सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट



उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

Mob:9415311063

Office of the Executive Engineer
Electricity Transmission Division
U.P. Power Trans. Corporation Ltd.
220 KV S/S Robertsganj (U.P.) -231216
Email Id:- eeetdrobertsganj@upptcl.org



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड
उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०
220 के०वी० उपकेन्द्र राबर्ट्सगंज (उ०प्र०)-231216
ई-मेल eeetdrobertsganj@upptcl.org

पत्रांक : 527 / वि०पा०ख०(रा०) /

दिनांक- 23/04/2025

विषय:- जनपद-सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के म्योरपुर रेंज अन्तर्गत रणटोला (कटौधी) किरविल तक प्रस्तावित 132 के०वी० विद्युत ट्रान्समिशन लाइन के निर्माण में प्रभावित 16.8912 हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 819 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति हेतु अनुपालन आख्या के संबंध में। (ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/TRANS/151920/2022)

प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग
रेनुकूट- सोनभद्र।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक संख्या-1474/रेनुकूट/15-276 दिनांक 28.10.2024 के सन्दर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र संख्या 8बी/यू.पी./04/109/2023/एफ.सी./48 दिनांक 30.05.2023 की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत् है-

शर्त संख्या	शर्तों में उल्लिखित विवरण	शर्तों के अनुपालन का विवरण
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	वन भूमि की प्रश्न गत वैधानिक परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। (वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न)
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 34.00 ha. Degraded Forest land in Cheri Forest Block. Renukoct Forest Division, Myourpur Range District Sonbhadra at the cost of the user agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided.	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु वन प्रभाग के म्योरपुर रेंज के अन्तर्गत चेरी वन ब्लॉक में चयनित 34.00 हे० अवनत वन भूमि पर वनीकरण हेतु निर्धारित धनराशि परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa में दिनांक 28.11.2024 को जमा किया गया है। (चालान की प्रति संलग्न है)
3	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey. Demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the projet authority The CA will be maintained for 10 years The scheme will be for plantation and may include appropriate provision for anticipated cost increase for work scheduled for subsequent years.	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु वन प्रभाग के म्योरपुर रेंज के अन्तर्गत चेरी वन ब्लॉक में चयनित 34.00 हे० अवनत वन भूमि पर वनीकरण हेतु निर्धारित धनराशि परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa में दिनांक 28.11.2024 को जमा किया गया है। (चालान की प्रति संलग्न है)

4	The State Government shall charge the Net Present Value(NPV) for the 16.8912 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the user agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA. No. 566 in WP(C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998- Fc (pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007- FC dated 05/02/2009 and 5&3/2011-FC(Vol-1) dated orders dated 06.01.2022	परियोजना में प्रभावित आरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) की निर्धारित धनराशि परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa में दिनांक 28.11.2024 को जमा किया गया है। (चालान की प्रति संलग्न है)
5	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to the effect.	NPV की धनराशि में यदि भविष्य में कोई बढ़ोतरी होती है तो उसे जमा किया जायेगा। (वचनबद्धता प्रमाण-पत्र (संलग्न)
6	The certificate as per Ministry's guidelines shall be submitted before issuance of Final Approval. The complete compliance of the FRA 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	जिलाधिकारी महोदय सोनभद्र द्वारा वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत जारी (FRA Certificate) प्रमाण पत्र संलग्न।
7	Solar pumps shall be installed at the CA sites for irrigation purposes to ensure better survival of plant.	परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa में दिनांक 28.11.2024 को जमा किया गया है। (चालान की प्रति संलग्न है)
8	The entire area proposed for CA shall be fenced by the State Forest Department at the cost of User agency	परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa में दिनांक 28.11.2024 को जमा किया गया है। (चालान की प्रति संलग्न है)
9	Widtho Right of Way for the Transmission Line shall be limited to 27 mete	पारेषण लाइन Widtho Right of Way 27 मीटर तक सीमित रखा जायेगा। (शपथ पत्र संलग्न)
10	The User Agency should fence the base of the tower by Chain Link Fencing to prevent the electrocution of Elephant/Wild Animals in forest area at their own cost. The concerned DFO	वन जीवों को विद्युतीय दुर्घटना से बचाव हेतु पारेषण लाइन के टावरों की चैन लिंक फैनसिंग करा दी जायेगी। (शपथ पत्र संलग्न)
11	The normal width clearance below each conductor or conductor bundle in case of 132 KV D/C line will be 3 meter only The trees on such strips may be felled but after stringing work is completed, the natural regeneration will be allowed to come up.	132 के.वी. डबल सर्किट लाइन के कण्डक्टरों के बीच width clearance 03 मीटर रखी जायेगी। (शपथ पत्र संलग्न)

[Signature]

12	The User agency is consultation with the State Forest Department prepare a detailed scheme for creation and maintenance of plantation of dwarf species in right of way under the transmission line and deposit the cost for execution of the said scheme to the State Forest Department.	पारेषण लाइन निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त लाइन के नीचे बौने प्रजाति के वनीकरण का कार्य वन विभाग द्वारा स्वयं किया जायेगा। उक्त कार्य हेतु निर्धारित धनराशि परियेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa में दिनांक 28.11.2024 को जमा किया गया है। (चालान की प्रति संलग्न है)
13	The user agency at its cost shall provide bird deflectors, which are to be fixed on upper conductor of transmission line at suitable intervals to avoid bird hits	पारेषण लाइन निर्माण के दौरान bird deflectors लगाया जायेगा। (शपथ पत्र संलग्न)
14	The User Agency shall comply with the guidelines for laying transmission lines through forest areas issued by Ministry vide Letter 7-25/2012-FC Dated 05.05.2014 & 19.11.2014	भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक 7-25/2012-FC Dated 05.05.2014 & 19.11.2014 द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों का पालन किया जायेगा। (शपथ पत्र संलग्न)
15	User Agency shall restrict the felling of trees to 819 trees/minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	1. परियोजना में प्रभावित 819 वृक्षों की गणना/ छपान किये जाने हेतु निर्धारित धनराशि का बैंक ड्राफ्ट प्रमाणीय वनाधिकारी रेनुकूट, वन विभाग रेनुकूट दिनांक 28.11.2024 को जमा किया गया है। (प्रति संलग्न) 2. परियोजना में प्रभावित 819 वृक्षों के पातन एवं ढुलान पर व्यय होने वाली निर्धारित धनराशि को MD UP Forest Corporation Lucknow के BOB A/C no. 29690200015824 में दिनांक 16.11.2024 को जमा किया गया है।
16	No violation of Forest (Conservation) Act. Certificate from concerned DFO shall be provided.	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा कोई उल्लंघन नहीं किया गया है।
17	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (protection) Act. 1986. If applicable.	प्रयोक्ता अधिकरण को परियोजना निर्माण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।
18	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रस्ताव का ले आउट प्लान नहीं बदला जायेगा। (शपथ पत्र संलग्न)
19	No labour camp shall be established on the forest land.	पारेषण लाइन निर्माण कार्य के सम्पादन हेतु वन भूमि में कोई श्रमिक शिविर के स्थापना का कार्य नहीं किया जायेगा। (शपथ पत्र संलग्न)
20	The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.	पारेषण लाइन निर्माण कार्य के सम्पादन के दौरान एल.पी. जी. के अलावा अन्य ईंधन का प्रयोग नहीं किया जायेगा। (शपथ पत्र संलग्न)

21	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost as per the directions of the concerned Divisional Forest officer.	प्रस्तावित वन भूमि की सीमा का उपयुक्त सीमांकन वनाधिकारी वन प्रभाग रेनुकूट के निर्देशानुसार किया जायेगा। (वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न)
22	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	परियोजना कार्य के सम्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन हेतु वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त/नवीन पथ का निर्माण नहीं किया जायेगा। (शपथ पत्र संलग्न)
23	The period of diversion under this approval shall be co terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life whichever is less	आपके कार्यालय स्तर से कार्यवाही की जानी है।
24	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	प्रस्तावित वन भूमि का उपयोग परियोजना प्रस्ताव में निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा। (वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न)
25	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies Department or person without prior approval of Govt. of india	प्रश्नगत वन भूमि को किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य अभिकरण या व्यक्ति को बिना भारत सरकार की पूर्व अनुमति के हस्तान्तरण नहीं किया जायेगा। (वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न)
26	The KML file of area propose for diversion and area proposed for plantation shall be uploaded on the E-Green watch portal with all requisite details.	प्रस्तावित वन भूमि से सम्बन्धित क्षेत्र की KML, CA हेतु प्रस्तावित क्षेत्र को कार्य शुरू होने से पहले वन प्रभाग को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त सभी विवरणों के साथ ई-ग्रीन वाच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
27	The Violation of any of the conditions stipulated under this approval will be liable to the cognizance and appropriate action under MoEFCC Guideline rules and Guidelines as applicable specifically MoEFCC, Guidelines dated 15.05.2023 authorizing officers of the rank of Divisional Forest Officer (DFO) Deputy Conservator of Forest (DCF) and above of the State Government or Union territory Administration concerned, having jurisdiction over the forest land in respect of which any offence Van(Sanrakhshan under the Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 is committed or violation of the provisions of the said Act has been made to file complaints against person/authority/organization such prima-facie found guilty of offence under the Act or the violaion of the rules made thereunder, in the court having jurisdiction in the matter.	उक्त समस्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा और भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही का पालन किया जायेगा।

geh

28	Any other condition that ministry of Environment forest & Climate Change may stipulate from time to time the interest conservation. Protection of and development of forest & wildlife.	भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलावायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन और वन्य जीव संरक्षण और विकास के लिए समय-समय पर निर्धारित किये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। (शपथ पत्र संलग्न)
29	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through (https://parivesh.nic.in)	वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव से सम्बन्धित जमा होने योग्य समस्त धनराशि परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa में दिनांक 28.11.2024 को जमा किया गया है। (चालान की प्रति संलग्न है)
30	The compliance report report on e-portal (https://punvesh.nic.in)	

संलग्नक-यथापरोक्त

(शिव धनी राम)
अधिसासी अभियन्ता

पत्रांक: /वि०पा०खण्ड०(रा०)/ तददिनांक-
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
1. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, प्रयागराज।
2. उपखण्ड अधिकारी, विद्युत प्रेषण उपखण्ड-द्वितीय, पिपरी।

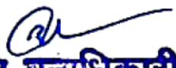
(शिव धनी राम)
अधिसासी अभियन्ता

R
23.4.25

L.T
300 वन को
200030
2022

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र (बिन्दु-1 हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद-सोनभद्र में रेनूकूट वन प्रभाग के म्योरपुर रेंज के अन्तर्गत रणटोला (कटौंधी) से किरबिल तक प्रस्तावित 132 के.वी. पिपरी-सोननगर लीलो @ म्योरपुर पारेषण लाइन के निर्माण हेतु प्रस्तावित वन भूमि की वैधानिक स्थिति में किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।


प्रभागीय जनाधिकारी
रेनूकूट वन प्रभाग, रेनूकूट
सोनभद्र, उत्तर प्रदेश


(शिव धनी राम)
अधिशाली अभियन्ता

11/4/24, 5:07 PM

5930020241127840185

PIF No - CAM509027112624

Challan

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 04-11-2024

Client Code.	CAM8090
Location.	UTTAR PRADESH
Remitter Name.	UTTAR PRADESH POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED
PIF/Application No.	64151920773
MoEF/SG File No.	83/UP/04/109/2023/FC
Address.	220 KV Sub-Station Robertganj Sonbhadra
Remitter Contact No.	
Email-Id.	eeetdrobertaganj@gmail.com
Mobile No.	9415311063
Landline No.	544-2245035
Amount(In Rs)	40962570/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jellita Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount In Words: Four Crore Nine Lakh Sixty-Two Thousand Five Hundred and Seventy Rupees Only

Depositor Signature (Signature)

Bank Official (Signature)

Bank Transaction Number

59300

- Branches should use CMS menu to process the transaction
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

CAMPA-MOEF Copy

यूनियन बैंक Union Bank of India

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 04-11-2024

Client Code.	CAM5090
Location.	UTTAR PRADESH
Remitter Name.	UTTAR PRADESH POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED
PIF/Application No.	64151920773
MoEF/SG File No.	83/UP/04/109/2023/FC
Address.	220 KV Sub-Station Robertganj Sonbhadra
Remitter Contact No.	
Email-Id.	eeetdrobertaganj@gmail.com
Mobile No.	9415311063
Landline No.	544-2245035
Amount(In Rs)	40962570/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jellita Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount In Words: Four Crore Nine Lakh Sixty-Two Thousand Five Hundred and Seventy Rupees Only

Depositor Signature (Signature)

Bank Official (Signature)

Bank Transaction Number

59300

- Branches should use CMS menu (INST & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdesk@unionbankofindia.bank

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

E.E. ETD Rbj

9415311063

Print

Back

<https://forestsclearance.nic.in/useraccount/GenerateChallanCorp.aspx?pld=TRANS1519202022773>

(Shiv Dhoni Ram)
EE, ETD Robertganj



UTTAR PRADESH POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED
SHAKTI BHAWAN 14, ASHOK MARG, LUCKNOW
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN: U40101UP2004SGC028687, GSTIN No- 09AAACU8823E1Z9
Ph No-0522-2287816 Fax- 0522-2287816, Email- aofund@upptcl.org

ADVICE NO. 2600079124

Date:- 16.11.2024

RTGS ADVICE

PAN NO. AAACU8823E

TO,
Chief Manager / Assistant General Manager,
ICICI Bank
ICICI Bank Ltd. Shalimar, Lucknow
LUCKNOW

Dear Sir,

We request you to please transfer the funds through RTGS for discharging our liabilities as advised below:-

Amount:-	10259000.00
	One Crore Two Lakh Fifty Nine Thousand Rupees only
Debit A/C No :-	628105039194
Beneficiary Name:-	U P FOREST CORPORATION
Credit A/C No :-	29690200015824
Bank Address:-	BANK OF BARODA #Indira Nagar LUCKNOW
IFSC Code:-	BARB0INDIRA
Narration:-	Posting

Thanking You,

(Shiv Shoni Ram)
EE, ETD Robertogang

Yours faithfully



清江4853

VALID FOR THREE MONTHS ONLY

DATE _____

DO NOT
PRASHASTYA VANDHITVAT PRAHASTAM

ON DEMAND PAY TO THE ORDER OF ORDER
TWO CRORE THIRTY FIVE LAKH NINETY ONE THOUSAND SEVEN

RUPEES AND PLEDGED TO THE PUBLIC CHAMBER OF COMMERCE

Purchaser Name: UP POWER TRANSMISSION CORPORATION FOR VALUE RECEIVED

[illegible]

1861

Issuing Branch / Authorised Signatory / Authorised Signatory

97 11782900 :1000622000 11E974E5 11

Shi
(Shin Shoni Ron)
EE, ETD Robertogay

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र (बिन्दु-5 हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद-सोनभद्र में रेनूकूट वन प्रभाग के म्योरपुर रेंज के अन्तर्गत रणटोला (कटौंधी) से किरबिल तक प्रस्तावित 132 के.वी. पिपरी-सोननगर लीलो @ म्योरपुर पारेषण लाइन के निर्माण हेतु NPV की धनराशि में यदि भविष्य में कोई बढ़ोत्तरी होती है तो उसे जमा किया जायेगा।


प्रभागीय जनाधिकारी
रेनूकूट वन प्रभाग, रेनूकूट
(सोनभद्र, उत्तर प्रदेश)


(शिव धनी राम)
अधिसासी अभियन्ता

FORM-1

(for linear projects)
Government of ...*Uttar Pradesh*...
Office of the District Collector Sonebhadra

No...*19*...Date...*22/04/2025*...**TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (TRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5 February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **16.8912 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Uttar Pradesh Power Transmission Co. Ltd. for Construction of 132 KV Pipri-Sonenagar LILO @ Myorepur line in Sonebhadra** district falls within jurisdiction of **Kirvil, Dévari, Arangpani, Phatpakhana, Navatola, Badhmanthva and Kataundhi** villages in **Duddhi** tehsils.

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **16.8912 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub- Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure...*01*... to ...*09*...Annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre agricultural communities.

Encl.: As Above

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

(बड़ी नाथ सिंह)
जिलाधिकारी
सोनभद्र

शपथ-पत्र (बिन्दु-09 हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद-सोनभद्र में रेनूकूट वन प्रभाग के म्योरपुर रेंज के अन्तर्गत रणटोला (कटौधी) से किरबिल तक प्रस्तावित 132 के.वी. पिपरी-सोननगर लीलो @ म्योरपुर पारेषण लाइन के निर्माण कार्य के सम्पादन में पारेषण लाइन Width Right of Way 27 मीटर तक सीमित रखा जायेगा।


प्रभागीय वनाधिकारी
रेनूकूट वन प्रभाग, रेनूकूट
सोनभद्र, उत्तर प्रदेश


(शिव धनी राम)
अधिशाली अभियन्ता

शपथ-पत्र (बिन्दु-10 हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद-सोनभद्र में रेनूकूट वन प्रभाग के म्योरपुर रेंज के अन्तर्गत रणटोला (कटौंधी) से किरबिल तक प्रस्तावित 132 के.वी. पिपरी-सोननगर लीलो @ म्योरपुर पारेषण लाइन के निर्माण कार्य के सम्पादन में वन जीवों को विद्युतीय दुर्घटना से बचाव हेतु पारेषण लाइन के टावरों की चैन लिंक फैनसिंग करा दी जायेगी।


प्रभागीय वनाधिकारी
रेनूकूट वन प्रभाग, रेनूकूट
सोनभद्र, उत्तर प्रदेश


(शिव धनी राम)
अधिशाली अभियन्ता

शपथ-पत्र (बिन्दु-11 हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद-सोनभद्र में रेनूकूट वन प्रभाग के म्योरपुर रेंज के अन्तर्गत रणटोला (कटौधी) से किरबिल तक प्रस्तावित 132 के.वी. पिपरी-सोननगर लीलो @ म्योरपुर पारेषण लाइन के निर्माण कार्य के सम्पादन में कण्डक्टरों के बीच Width clearance 03 मीटर रखी जायेगी ।


प्रमाणीय वनाधिकारी
रेनूकूट वन प्रभाग, रेनूकूट
सोनभद्र, उत्तर प्रदेश


(शिव धनी राम)
अधिशाली अभियन्ता

शपथ-पत्र (बिन्दु-13 हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद-सोनभद्र में रेनूकूट वन प्रभाग के म्योरपुर रेंज के अन्तर्गत रणटोला (कटौंधी) से किरबिल तक प्रस्तावित 132 के.वी. पिपरी-सोननगर लीलो @ म्योरपुर पारेषण लाइन के निर्माण कार्य के सम्पादन में पारेषण लाइन निर्माण के दौरान Bird deflectors लगाया जायेगा।


प्रभागीय वनाधिकारी
रेनूकूट वन प्रभाग, रेनूकूट
सोनभद्र, उत्तर प्रदेश


(शिव धनी राम)
अधिसासी अभियन्ता

शपथ-पत्र (बिन्दु-14 हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद-सोनभद्र में रेनूकूट वन प्रभाग के म्योरपुर रेंज के अन्तर्गत रणटोला (कटौधी) से किरबिल तक प्रस्तावित 132 के.वी. पिपरी-सोननगर लीलो @ म्योरपुर पारेषण लाइन के निर्माण कार्य के सम्पादन में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक 7-25/202-FC dated 05-05-2014 & 19-11-2014 द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों का पालन किया जायेगा।


प्रभागीय वनाधिकारी
रेनूकूट वन प्रभाग, रेनूकूट
सोनभद्र, उत्तर प्रदेश


(शिव धनी राम)
अधिशाली अभियन्ता

शपथ-पत्र (बिन्दु-17 हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद-सोनभद्र में रेनूकूट वन प्रभाग के म्योरपुर रेंज के अन्तर्गत रणटोला (कटौँधी) से किरबिल तक प्रस्तावित 132 के.वी. पिपरी-सोननगर लीलो @ म्योरपुर पारेषण लाइन के निर्माण कार्य के सम्पादन में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।


प्रभागीय वनाधिकारी
रेनूकूट वन प्रभाग, रेनूकूट
सोनभद्र, उत्तर प्रदेश


(शिव धनी राम)
अधिशाली अभियन्ता

शपथ-पत्र (बिन्दु-18 हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद-सोनभद्र में रेनूकूट वन प्रभाग के मयोरपुर रेंज के अन्तर्गत रणटोला (कटौधी) से किरबिल तक प्रस्तावित 132 के.वी. पिपरी-सोननगर लीलो @ मयोरपुर पारेषण लाइन के निर्माण कार्य के सम्पादन में केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रस्ताव का ले आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।


प्रभागीय वनाधिकारी
रेनूकूट वन प्रभाग, रेनूकूट
सोनभद्र, उत्तर प्रदेश


(शिव धनी राम)
अधिशाली अभियन्ता

शपथ-पत्र (बिन्दु-19 हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद-सोनभद्र में रेनूकूट वन प्रभाग के म्योरपुर रेंज के अन्तर्गत रणटोला (कटौंधी) से किरबिल तक प्रस्तावित 132 के.वी. पिपरी-सोननगर लीलो @ म्योरपुर पारेषण लाइन के निर्माण कार्य के सम्पादन हेतु वन भूमि में कोई श्रमिक शिविर के स्थापना का कार्य नहीं किया जायेगा।


प्रभागीय वनाधिकारी
रेनूकूट वन प्रभाग, रेनूकूट
(सोनभद्र, उत्तर प्रदेश)


(शिव धनी राम)
अधिशाली अभियन्ता

शपथ-पत्र (बिन्दु-20 हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद-सोनभद्र में रेनूकूट वन प्रभाग के म्योरपुर रेंज के अन्तर्गत रणटोला (कटौधी) से किरबिल तक प्रस्तावित 132 के.वी. पिपरी-सोननगर लीलो @ म्योरपुर पारेषण लाइन के निर्माण कार्य के सम्पादन के दौरान एल.पी.जी. के अलावा अन्य ईंधन का प्रयोग नहीं किया जायेगा।


प्रभागीय वनाधिकारी
रेनूकूट वन प्रभाग, रेनूकूट
(सोनभद्र, उत्तर प्रदेश)


(शिव धनी राम)
अधिशाली अभियन्ता

शपथ-पत्र (बिन्दु-21 हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद-सोनभद्र में रेनूकूट वन प्रभाग के मयोरपुर रेंज के अन्तर्गत रणटोला (कटौधी) से किरबिल तक प्रस्तावित 132 के.वी. पिपरी-सोननगर लीलो @ मयोरपुर पारेषण लाइन के निर्माण कार्य के सम्पादन में प्रस्तावित वन भूमि की सीमा का उपयुक्त सीमांकन वनाधिकारी वन प्रभाग रेनूकूट के निर्देशानुसार किया जायेगा।


प्रभागीय वनाधिकारी
रेनूकूट वन प्रभाग, रेनूकूट
सोनभद्र, उत्तर प्रदेश


(शिव धनी राम)
अधिसासी अभियन्ता

शपथ-पत्र (बिन्दु-22 हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद-सोनभद्र में रेनूकूट वन प्रभाग के म्योरपुर रेंज के अन्तर्गत रणटोला (कटौंधी) से किरबिल तक प्रस्तावित 132 के.वी. पिपरी-सोननगर लीलो @ म्योरपुर पारेषण लाइन के निर्माण कार्य के सम्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन हेतु वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त/नवीन पथ का निर्माण नहीं किया जायेगा।

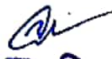

प्रभागीय वनाधिकारी
 रेनूकूट वन प्रभाग, रेनूकूट
 सोनभद्र, उत्तर प्रदेश


 (शिव धनी राम)
 अधिशासी अभियन्ता

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र (बिन्दु-24 हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद-सोनभद्र में रेनूकूट वन प्रभाग के म्योरपुर रेंज के अन्तर्गत रणटोला (कटौधी) से किरबिल तक प्रस्तावित 132 के.वी. पिपरी-सोननगर लीलो @ म्योरपुर पारेषण लाइन के निर्माण हेतु प्रस्तावित वन भूमि का उपयोग परियोजना प्रस्ताव में निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।


(शिव धनी राम)
अधिशाली अभियन्ता


प्रभागीय वनाधिकारी
रेनूकूट वन प्रभाग, रेनूकूट
सोनभद्र, उत्तर प्रदेश

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र (बिन्दु-25 हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद-सोनभद्र में रेनूकूट वन प्रभाग के म्योरपुर रेंज के अन्तर्गत रणटोला (कटौधी) से किरबिल तक प्रस्तावित 132 के.वी. पिपरी-सोननगर लीलो @ म्योरपुर पारेषण लाइन के निर्माण हेतु प्रस्तावित प्रश्नगत वन भूमि को किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य अभिकरण या व्यक्ति को बिना भारत सरकार की पूर्व अनुमति के हस्तान्तरण नहीं किया जायेगा।


(शिव धनी राम)
अधिशाली अभियन्ता


प्रकाश चन्द्राधिकारी
रेनूकूट वन प्रभाग, रेनूकूट
सोनभद्र, उत्तर प्रदेश

शपथ-पत्र (बिन्दु-28 हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद-सोनभद्र में रेनूकूट वन प्रभाग के म्योरपुर रेंज के अन्तर्गत रणटोला (कटौधी) से किरबिल तक प्रस्तावित 132 के.वी. पिपरी-सोननगर लीलो @ म्योरपुर पारेषण लाइन के निर्माण कार्य के सम्पादन हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन और वन्य जीव संरक्षण और विकास के लिए समय-समय पर निर्धारित किये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।


प्रभागीय वनाधिकारी
 रेनूकूट वन प्रभाग, रेनूकूट
 सोनभद्र, उत्तर प्रदेश


 (शिव धनी राम)
 अधिशासी अभियन्ता